



**कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन ,पुलिस कमिश्नरेट,  
वाराणसी।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक- 19-09-2021**

दिनांक 18.09.21 को थाना मंडुवाडीह में पंजीकृत मु0अ0सं0-460/2018 धारा-363,366,376(3) भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट, से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज केशरी पुत्र राजेश केशरी निवासी जलालपुर माफी थाना चुनार जनपद मिर्जापुर को मानीटरिंग सेल व प्रभारी निरीक्षक थाना मंडुवाडीह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त पंकज केशरी को भा0द0सं0 की धारा 376(3) के अंतर्गत बीस वर्ष के सश्रम कारावास व रु-10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास होगा व धारा 366 भादवि के अधीन 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का सश्रम कारावास होगा तथा धारा 363 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रु. के अर्थदंड से, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । जेल मे बिताई गई अवधि सज़ा मे समायोजित की जायेगी, सभी सजायें साथ साथ चलेंगी, अभियुक्त से अर्थदण्ड की धनराशि प्राप्त होने पर समस्त धनराशि पीड़िता को प्रदान की जायेगी ।

**सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी**